Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to extend facilities to tenant farmers and sharecroppers at par with land-owning farmers -laid.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): देश में करोड़ों भूमिहीन किसान भू-स्वामियों से जमीन बंटाई पर लेकर खेतीबारी करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं । यही किसान बटाईदार किसान कहलाता है । बटाईदारी में या तो एक मुश्त रकम जमीन के रक़बे के हिसाब से भू-स्वामी वसूलते हैं या उपज का एक हिस्सा भू-स्वामी को बटाईदारों से निश्चित रूप से मिलता है । अब यहीं से बटाईदारी किसानों की परेशानी प्रारम्भ होती है । खेतीबाड़ी में सारा खर्च व मेहनत, मजदूरी सब करना होता है । किन्तु किसान का हक़ नहीं है । अगर प्राकृतिक आपदायें हुई तो मुआवजा सरकार नहीं देती है । क्योंकि जमीन के वे स्वामी नहीं हैं । अब खाद-बीज पर सब्सिडी भी बटाईदारों को नहीं मिलती है । उन्हें बाजार से मंहगे खाद-बीज खरीदना पड़ता है । खेती में उपयोग होने वाले कृषि-यंत्र पर कोई छूट उन्हें नहीं मिलती है ।

अब प्रश्न यह है कि वास्तव में किसान कौन है । बटाईदार या भू-स्वामी? इसी प्रकार पीएम किसान सम्मान पेंशन के भी वे हक़दार नहीं हैं ।

अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि देश में बटाईदार किसानों का सर्वे कराकर रजिस्ट्रेशन कराया जाये और उन्हें भी किसान का दर्जा दिया जाये । उन्हें भी सभी किसानों के समान ही खाद-बीज की सब्सिडी और पीएम किसान सम्मान पेंशन दिया जाये जिससे कि करोड़ों बटाईदार किसानों को भी बराबरी का हक़ मिल सके । धन्यवाद ।